सुभाष बनाम बिमला वगै0
मु0नं0 195/2022
दावा 53

दिनांक –03.03.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम बलौदा तहसील सुरजगढ की सरहद में स्थित भुमि के ख.नं. 700/401 रकबा 0.29है0, खसरा नम्बर 784/401 रकबा 0.47है0 कुला किता 02 कुल रकबा 0.7616 है0 वाके मौजा बलौदा का पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार अलग–अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(भावेश धनवंत)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:— 195 / 2022
सुभाष बनाम बिमला वगै0
निर्णय दिनांक:—03.03.2025

मूल वाद में (अन्तिम) डिकी
(आदेश 20 के नियम 06 और 07)

ठासीन अधिकारी:— भावेश धनवंत (आर.ए.एस.)
जस्व वाद संख्या :— 195 / 2022
र्णय दिनांक:— 03.03.2025

सुभाष बनाम बिमला वगै0
दावा बाबत खाता विभाजन

दी की और से **संजु तंवर एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **03.03.2025** को **वेश धनवंत, उपखंड अधिकारी सूरजगढ** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर देश किया जाता है और डिकी दी ज़ाती है कि :—

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः खसरा नम्बर /401 रकबा 0.29 है0 , खसरा नम्बर 784/401 रकबा 0.47 है0, कुल किता 02 कुल बा 0.7616 है0 स्थित राजस्व ग्राम बलौदा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान मे सीलदार सुरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है। भाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ को ाबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते

र्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।
आज तारीख **03.03.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(भावेश धनवंत)
उपखंड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सुरजगढ।